भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम-1992

विशिष्ट बच्चों की शिक्षा हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 बनाया गया। इसका मुख्य कार्य विशिष्ट शिक्षा के कार्यों के नियन्त्रण हेतु परिषद को अधिकार देना था।

भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अपने संवैधानिक रूप में 1993 में आया। इस परिषद को सरकार द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि निर्योग्य व्यक्तियों को जो भी सुविधाएँ दी जाती हैं। उनका क्रियान्वयन निश्चित करें। पाठ्यक्रम को प्रमाणीकृत करे तथा पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका लेखा तैयार करे। इसके तहत उन लोगों के विरोध में ठोस कदम उठाये जाये जो बिना इस क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण कर विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सन् 2000 में इसमें आवश्यक सुधार भी हुए थे।

उद्देश्य :-

1- विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित व्यावसायिक/कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

(2) विकलांग लोगों के लिए कार्य कर रहे लोगो के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना।

(3) देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानको को विनियमित करना।

(4) निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर/स्नातक, डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।

(5) विदेशी संस्थाओं द्वारा डीग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना।

⑥ मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले कार्मिकों के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रख-रखाव करना।
⑦ भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना।
⑧ देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग से पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
⑨ व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।
⑩ पुनर्वास केन्द्रों पर कार्यरत अनुदेशकों और अन्य कार्मिकों को पंजीकृत करना।
⑪ ऐसे रिक्त स्थान, जिनके नियोजन चाहने वाले निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है।

सर्वशिक्षा अभियान की विशेषताएं (2001 से 2010 तक)

1- समयबद्ध कार्यक्रम
2- प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता
3- स्थानीय संस्थाओं की प्रभावकारी सहभागिता
4- गुणात्मक शिक्षा का प्रावधान
5. केन्द्र तथा राज्य सरकार में सहयोग
6. सामाजिक न्याय
7. राष्ट्रीय एकता
8. राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

1- 6-14 वर्ष तक की गुणात्मक शिक्षा
2. शिक्षा में सामाजिक, क्षेत्रिय, एवं लिंग भेद की समस्याओं को दूर करना
3. शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी की वृद्धि
4. मूल्यों पर आधारित पर शिक्षा
5. बालकों की प्रारम्भिक देखभाल एवं विकास
6- प्राकृतिक वातावरण का विकास

सर्वशिक्षा अभियान में शैक्षिक सुविधाएँ

1- विद्यालय सम्बन्धी सुविधाएं
2- सुव्यवस्थित क्लास रूम
3- योग्य शिक्षक
4- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें
5- विद्यालय भवन के रख-रखाव के लिए अनुदान
6- विद्यालय अनुदान की व्यवस्था
7- शिक्षक अनुदान
8- शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान
9- शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था
10- सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण की व्यवस्था
11- विशिष्ट तथा असमर्थ बालकों को सहायता राशि की व्यवस्था

C-11

खनिज सम्पदा संरक्षण :-

आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में मनुष्य विभिन्न खनिजों का उत्खनन तीव्रता से कर रहा है परन्तु वह यह भूल कर रहा है कि खनिज पदार्थों का निर्माण भूगर्भ में अनेक आन्तरिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप करोड़ों वर्षों में होता है। मानव द्वारा जिस गति से निरन्तर खनिज का शोषण किया जा रहा है उसके कारण भण्डार धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा। भूगर्भ में प्राय सभी खनिज एक सीमित मात्रा में है यदि इनका समापन हो गया तो मानव कितना भी प्रयास कर ले फिर भी इसकी क्षतिपूर्ति नही कर सकता। अतः खनिज सम्पदा सदैव के लिए इस लिए इसका संरक्षण नितांत आवश्यक है

1:- खनिजों के उत्खनन एवं दोहन विवेक पूर्ण ढंग से सीमित मात्रा में किया जाय।

2:- कोयला, पेट्रोल, ~~तेल~~, खनिज आदि की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण अधिनियम का पालन कराया जाय

3:- गैर पारम्परिक उर्जा स्रोतों का सृजन किया जाय सौर्य उर्जा, नाभिकीय उर्जा गैस उर्जा का उपयोग किया जाय

4:- नये क्षेत्रों में खनिज को खोजा जाय और नये सम्भावनाओं पर निरन्तर कार्य किया जाय

5:- कम मात्रा में उपलब्ध खनिजों के स्थान पर उचित विकल्प की खोज की जाय

6:- खनिजों के प्रयोग में स्क्रैप खनिजों को व्यर्थ न फेंक दिया जाय उसका अधिकतम उपयोग किया जाय।

विद्यालय द्वारा पर्यावरणीय विकास :-

* हमारे देश में 20-30% आबादी गंदी बस्तियों मे निवास करता है जहाँ प्रदूषण अत्यधिक रहता है शिक्षक तथा छात्रों को योजनाबद्ध तरीके से सफाई अभियान चलाकर वहा के लोगों में जागरूकता फैलाए तथा गंदगी रोकने के लिए शिक्षा दे।
* ग्रामीण लोगो को जैविक खादों के प्रयोग पर अधिक बल देने के लिए प्रेरित करे रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग करने के लिए जागरूक करे।
* मृदा संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे प्रत्येक विद्यालय से वृक्षा रोपण अभियान गाँव-गाँव तक चलाया जाय पृथ्वी को हरा-भरा करने और वृक्षों को न काटने की शिक्षा दी जाय।
* बच्चों मे बिहार सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अभियान 'जल जीवन हरियाली" के माध्यम से जल संरक्षण एवं वन संरक्षण के प्रति रुचि जागृत किया जाय। यह पर्यावरण संतुलन में कितना सहायक है इसके महत्व को समझाया जाय
* औद्योगिक कचरे के निस्तारण के उचित संयंत्र बनाने के लिए नित नये प्रयोग शिक्षक एवं छात्रों द्वारा किया जाए। तथा कचरें के प्रकार विभाजित कर उसे पुनः चक्रण योग्य बनाया जाय
* विद्यालयी परिसर ग्रामीण, क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र एवं सम्पूर्ण पृथ्वी को कैसे स्वच्छ रखा जाय शिक्षक छात्रों को इस बारे उचित ज्ञान दे ताकि छात्र अपने वातावरण को स्वच्छ रख सके।